

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
(दिनांक 27/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 27/08/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री नवीन कर्णवाल, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री फणी किरण, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्रीमती गीता गोयल, एफटीडीओ, कार्यालय अपर विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई
5. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नौएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 12/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 12/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 12/08/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) इंटरटेबैक यूनिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करना।

2.1 यह बताया गया कि मेसर्स इंटरटेबैक यूनिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में "तम्बाकू, सिगार और चुरट, सिगरेट, बीड़ी, चबाने वाला तम्बाकू, सूंघने वाला तंबाकू आदि के विनिर्माण" के लिए एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

2.2 निदेशक श्री सिद्धार्थ मोहिन्द्रू और श्री वृज मोहन तापड़िया अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री तापड़िया ने बताया कि वे 1994 से तम्बाकू निर्माण के व्यवसाय में हैं और विभिन्न अन्य कंपनियों के निदेशक/प्रवर्तक भी हैं। उन्होंने आगे बताया कि वे स्थानीय बाजार से कच्चा तम्बाकू खरीदेंगे और निर्माण के बाद तैयार माल को यूएई, यूरोप, अफ्रीका में निर्यात करेंगे। श्री मोहिन्द्रू ने बताया कि वे शिपिंग और सम्भार (लॉजिस्टिक्स) के व्यवसाय में हैं।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आवेदक को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया:

13/01/24

(i) उन सभी कंपनियों/इकाइयों की सूची, जिनमें श्री बृज मोहन तापड़िया निदेशक हैं, जिसमें नाम व पता, निगमन की तिथि, इन कंपनियों द्वारा की जा रही गतिविधियां और टर्नओवर तथा डीसी कार्यालय के परियोजना अनुभाग को उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के लिए सूचित किया गया हो।

(ii) मेसर्स इंटरटैबैक यूनिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की कुल निवल संपत्ति, जिसमें सस्थापको द्वारा अब तक निवेशित धन, दिए गए अग्रिम और वर्तमान शेष राशि के साथ-साथ इसके सस्थापको की निवल संपत्ति का विवरण दिया गया है। वित्तीय प्रवाह चार्ट (प्रारूप के अनुसार) भी प्रस्तुत किया जाएगा।

2.4 अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि आवेदक से उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर मामले की आंतरिक जांच की जाए तथा उसे पूर्ण जानकारी के साथ उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(3) सीएचएल लिमिटेड – स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 31.03.2024 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

3.2 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने 17,40,000/- रुपये मूल्य की भंडारण सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके लिए भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त हुआ है और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) का उल्लंघन है।

3.3 श्री नवनीत धवन, कॉर्पोरेट निदेशक और श्री आर जुयाल, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री धवन ने बताया कि उनके द्वारा नियमों की कुछ गलत व्याख्या के कारण, वे भंडारण सेवाओं के लिए भारतीय रुपये (INR) में चालान बना रहे थे। हालाँकि, जब उन्हें विदेशी मुद्रा में सेवाओं का चालान बनाने की आवश्यकता के बारे में बताया गया, तो उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधार ली। इसलिए मई 2024 से, चालान अमेरिकी डॉलर में बनाए गए, जिस पर उन्होंने सहमति जताई कि इसे जारी रखा जाएगा। इसके अलावा, इकाई ने एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक लेनदेन को दर्ज करना शुरू कर दिया है।

3.4 इस संबंध में, अनुमोदन समिति ने इकाई प्रतिनिधियों को विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11 के संशोधित प्रावधानों से अवगत कराया:

11 (2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश या विदेशी व्यापार नीति के किसी उपबंध का उल्लंघन करके कोई निर्यात या आयात करता है, या करने के लिए उकसाता है या प्रयास करता है, तो वह दस हजार रुपये से अत्यून और उस माल या सेवा या प्रौद्योगिकी के मूल्य के पांच गुना से अधिक नहीं, जिसके संबंध में कोई उल्लंघन किया गया है या करने का प्रयास किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

11 (4) जहां कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उसे नोटिस दिए जाने पर, कोई उल्लंघन स्वीकार करता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, ऐसे वर्ग या वर्गों के मामलों में और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जा सकता है, समझौते के माध्यम से, उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित कर सकता है।

3.5 इकाई के प्रतिनिधियों ने उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दिया तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम 18(5) के उल्लंघन से संबंधित मामले को निपटाने के लिए धारा 11(4) के अंतर्गत उचित जुर्माना लगाने के मामले का निर्धारण करने के लिए अपनी सहमति दी।

3.6. विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) द्वारा समिति में इकाई को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई तथा तदनुसार निर्णय आदेश जारी किया जाएगा। समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

करोड़

दिनांक 27/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

(NSEZ) के कार्यालय को लंबित औपचारिकताओं, यदि कोई हो, को पूरा करने के पश्चात फाइल पर स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(4) आयोनिक रिसर्च लिमिटेड – स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 अनुमोदन समिति ने पाया कि आज की तारीख तक इकाई पर 38,95,773 रुपये का पट्टा किराया बकाया है। इसके अलावा, निर्यात गतिविधियों के शुरू होने की कोई स्थिति नहीं बताई गई है।

4.2 वेंचर कैपिटल फंड की प्रतिनिधि श्रीमती मृणालिनी गुप्ता आयोनिक रिसर्च लिमिटेड की ओर से उपस्थित हुई और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वेंचर कैपिटल फंड ने मेसर्स आयोनिक रिसर्च के वित्तपोषण में निवेश किया है। एक आदि प्ररूप (प्रोटोटाइप) लगभग तैयार है और इसे कुछ दिनों में परीक्षण और संगतता (होमोलोगेशन) के लिए रखा जाएगा। उन्होंने स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को लंबी अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को निर्देश दिया कि वह स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण पर आगे विचार करने के लिए पहले संपूर्ण बकाया पट्टा किराया जमा करे और साथ ही एक ठोस व्यवसाय योजना प्रस्तुत करे। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि वे अधिकृत परिचालनों से विदेशी मुद्रा कैसे उत्पन्न करने जा रहे हैं।

(5) एबिक्सकैश लिमिटेड – निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन और प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री ऋषभ गुप्ता और श्री अंकित पाठक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन पर ध्यान दिया, जिसमें शेयरधारिता में कोई बदलाव नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने इकाई-1 के प्रदर्शन की आगे निगरानी की और 2019-20 से 2022-23 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने आगे ध्यान दिया कि 31/03/2023 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

(6) टॉरस इंग्लोब प्राइवेट लिमिटेड – शेष माल के आयात के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

6.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क से अभी प्राप्त सूचना के अनुसार, इकाई ने माल के आयात के लिए इस बार 85184000 के स्थान पर आईटीसी एचएस कोड 85185000 का उपयोग किया है और सीमा शुल्क द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पूर्व अनुमोदन दिनांक 24/07/2024 और 26/07/2024 के क्रम में शेष वस्तुओं के आयात के लिए दी गई अनुमति दिनांक 20/08/2024 को भी अनुमोदित किया।

(7) ओम नैनोटेक प्राइवेट लिमिटेड (ट्रेडिंग यूनिट) – प्रदर्शन की निगरानी

7.1 श्री अतुल खोसला, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

7.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पांच वर्षों के पहले और दूसरे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि पांच वर्षों के तीसरे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया। अनुमोदन समिति ने आगे ध्यान दिया कि 31/03/2023 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

13/01/24

दिनांक 27/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

7.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 2009-10 के दौरान 0.08 लाख रुपये मूल्य के तैयार माल की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की थी और उसका भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त किया गया था जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) (iii) का उल्लंघन है। श्री खोसला ने बताया कि वह माल प्रतिदर्श (सैंपल) आईसी चिप्स था।

7.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को मामले का निर्णय लेने और फाइल पर अंतिम निकास अनुरोध पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। चूंकि विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) द्वारा इकाई को पहले ही व्यक्तिगत सुनवाई का समय दिया जा चुका था, इसलिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) द्वारा भारतीय रुपये में सेवाओं की बिक्री के लिए निर्णय आदेश जारी किया जाएगा।

(8) कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड - कार्यनिष्पादन की निगरानी

8.1 श्री दीपक गुप्ता और श्री संजय जादौन, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पांच वर्षों के दूसरे ब्लॉक यानी 2013-14 (20.07.13-31.03.14) से 2017-18 तक इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय और निर्धारित मूल्य संवर्धन की उपलब्धि को ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने आगे ध्यान दिया कि 31/03/2023 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

8.3 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में इकाई के 4.80 कैंरेट हीरे अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद, इन हीरों को सीडब्ल्यूसी में जमा कर दिया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि ये हीरे उन्होंने वर्ष 2012 में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) से खरीदे थे और उन्होंने पहले ही इन तथाकथित हीरों को अपनी पुस्तकों से हटा दिया है और उनका मूल्य नगण्य है। उन्होंने आगे इसकी नीलामी का अनुरोध किया।

8.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74(3) में यह प्रावधान है कि "रत्न एवं आभूषण इकाई द्वारा अपना परिचालन बंद करने की स्थिति में, आभूषणों के निर्माण के लिए उपलब्ध सोना एवं अन्य बहुमूल्य धातुएं, मिश्रधातुएं, रत्न एवं अन्य सामग्री केंद्र सरकार द्वारा नामित अभिकरण को उस अभिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य पर सौंप दी जाएंगी।" अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि वर्तमान में कोई नामित अभिकरण नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में काम नहीं कर रही है।

8.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया कि क्या इकाई द्वारा इन हीरों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में भेजा जा सकता है या नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित किया जा सकता है या नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) प्राधिकरण इसकी नीलामी कर सकता है। यह बात वाणिज्य विभाग (डीओसी) के संज्ञान में लाई जाए कि इकाई इन्हें किसी नामित अभिकरण को देने में असमर्थ है क्योंकि वे या तो काम नहीं कर रही हैं और अन्य इतनी मात्रा लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

(9) डिजिफ्लेक्स इंडिया लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 72 के तहत अलाभकारी इकाई का पुनरुद्धार और मेसर्स निटप्रो इंटरनेशनल को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण।

9.1 मेसर्स डिजिफ्लेक्स इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री अरुण खन्ना और मेसर्स निटप्रो इंटरनेशनल के भागीदार श्री आर सी जैन अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

9.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 72 में निम्नलिखित उल्लेख है:

"(1) कोई इकाई जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अलाभकारी घोषित किया गया है, विकास आयुक्त के माध्यम से बोर्ड को विचारार्थ पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करेगी और बोर्ड प्रचलित मानदंडों के अनुसार अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की पूर्ति के लिए अवधि में विस्तार पर विचार करेगा।

किरलोस्का

दिनांक 27/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

(2) अवधि के विस्तार पर, अप्रयुक्त कच्चे माल और आयातित या घरेलू रूप से खरीदे गए पूंजीगत सामान को उनके मूल मूल्य पर आगे ले जाने की अनुमति दी जाएगी और इकाई द्वारा निष्पादित बांड-सह-कानूनी वचनबद्धता को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

(3) यदि कोई नई इकाई किसी रुग्ण इकाई की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने अधीन लेने के लिए इच्छुक है, तो उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रावधानित ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) जहां किसी इकाई को उप-नियम (1) के अंतर्गत सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की पूर्ति के लिए अवधि विस्तार प्रदान किया जाता है, वहां स्थान उसके कब्जे में बना रहेगा।

(5) जहां एक इकाई को किसी अन्य इकाई द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, तो दायित्व उस नई इकाई को हस्तांतरित हो जाएगा जो अलाभकारी इकाई को अधिग्रहित कर रही है।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिया कि मामले की जांच परियोजना अनुभाग द्वारा की जाए और प्रस्ताव को वाणिज्य विभाग को पूर्ण विवरण के साथ भेजा जाए, ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 72 के अनुसार वीओए के आगे विचार किया जा सके।

(10) एम. डी. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

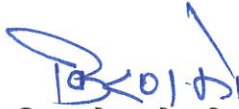
10.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स एम डी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने स्वीकृति पत्र (LOA) में 'प्लेटिनम का बिना गढ़े या अर्धनिर्मित रूप में या पाउडर के रूप में व्यापार (7110)' को शामिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।

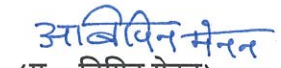
10.2 इकाई के महाप्रबंधक श्री अमित मित्तल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

10.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि वाणिज्य विभाग (डीओसी) के दिनांक 31.12.2013 और 18.06.2014 के पत्र के अनुसार, प्रस्तावित व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

10.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहाडीकर)
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त